समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

सप्तदश बिहार विधान सभा का षष्ठम् सत्र दिनांक 24 जून, 2022 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 24 जून, 2022 को सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ एवं पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 11 (ग्यारह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-11 (ग्यारह) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 28 जून, 2022 को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव पर बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय- उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

दिनांक 29 जून, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 30 जून, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन 'राज्य के वित्त' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022.

2) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022.

सत्र के दौरान कुल-827 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 713 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 713 प्रश्नों में कुल-46 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 45 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-572 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 553 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 95 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-81 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 70 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 03 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-139 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 137 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-94 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 89 स्वीकृत एवं 05 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-107 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, यह सदन एक संवैधानिक न्यास है । राजनीति इसका एक अहम पहलू जरूर है, लेकिन जन आकांक्षाओं तथा जीवन के कायदे को पूरी तरह केवल राजनीति भर से सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता । इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि लोकतंत्र का यह मंदिर विमर्श का केन्द्र बने, इसे व्यावधान का रंगमंच नहीं बनाया जा सकता । यहाँ से सत्ता और शासन की दशा और दिशा तो तय होती ही है, साथ ही सामाजिक सरोकार, नैतिकता एवं मर्यादा के प्रतिमान भी निर्धारित होते हैं । अतः हम अपने संवैधानिक अधिकारों, वैचारिक आग्रहों का रचनात्मक इस्तेमाल करें, यह प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है ।

इस महान सदन का अंग बनकर हमें जो स्वतंत्रता और विशेषाधिकार मिले हैं, उसे तात्कालिक राजनीतिक लाभ से प्रेरित स्वच्छंदता के हाथों विनिष्ट नहीं करना चाहिए । राजनीति में विरोध होना चाहिए लेकिन उसे शत्रुता के स्तर तक ले जाना वांछनीय नहीं होता । वैचारिक मतभेद को व्यावहारिक मनभेद के स्तर तक पहुँचने से हमें रोकना होता है ।

हम बिहार की जिस लोकतांत्रिक विरासत और इस गौरवशाली सदन के ऐतिहासिक प्रतिमानों से सूत्रबद्ध हैं, वह हमें यही सिखाता है कि वाद-विवाद से विमर्श और संवाद से समाधान के रास्ते खुलते हैं । आलोचना से आत्ममंथन का अवसर मिला है । विश्लेषण से संश्लेषण तक पहुँचा जा सकता है । लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही स्वरूप हमारे पुरखों ने दुनिया के सामने रखा था । इन्हीं मानदंडों को आत्मसात कर हम आज भी देश और दुनिया के सामने उत्कृष्ट विधायिका की नजीर पेश कर सकते हैं । सामाजिक सरोकार, संवैधानिक अधिकार और वैचारिक आग्रह के प्रति निष्ठावान रहकर हममें से हर सदस्य उत्कृष्ट विधायक हो सकते हैं । ऐसा मेरा विश्वास है ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा भवन का शताब्दी वर्ष अब अपने समापन की ओर है । इस समापन को ऐतिहासिक और भविष्य के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का शुभागमन होना है । इस अवसर पर हम अपने समन्वय, सामंजस्य और सहकार से अपनी विधायिका की उज्ज्वल तस्वीर पेश करें, यह हम सबका दायित्व होना चाहिये । पक्ष-विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी अस्थायी है, हमारा यहाँ होना, न होना भी अस्थायी है । लेकिन यह सदन और इस सदन की मर्यादा स्थायी है । अत: हम सभी को शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को एक अभूतपूर्व अवसर मानते हुए सामूहिकता और एकजुटता की दर्शनीय तस्वीर बिहार की 12 करोड़ जनता के सामने पेश करनी है । इसके लिए आप सभी के सहयोग और सुझाव की हम अपेक्षा रखते हैं । इसके निमित्त व्यक्तिगत रूप से मैं अपने साधन और सामर्थ्य के साथ आपके लिए सदा उपस्थित मिलूँगा ।

माननीय सदस्यगण, आने वाले दिनों में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है । यह निस्संदेह हमारे उत्साह, उल्लास और उपलब्धियों का उत्सव है । इस उत्सव पर हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने का संकल्प लेना है। अतीत के सुनहरे पक्षों से सीखते हुए स्वर्णिम भविष्य की दिशा में जनमानस को ले जाने का प्रयास करना है । अपनी नीति, अपने निर्णय और न्यायपूर्ण कार्यव्यवहार से भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है । सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से अपने सामूहिक भविष्य की संरचना करनी है । इस ध्येय के लिए मैं अपनी ओर से यही कहूँगा कि :-

"ऊँच-नीच का भेद नहीं हो,
जन-जन में समता हो,
हो कुटुम्ब-सा जन-समाज,
सब पर सबकी ममता हो ।
राजा-प्रजा नहीं हो कोई,
और न भेद शासन में हो,
धर्म-नीति का जन-जन के,
मन-मन पर अनुशासन हो ।।"

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश के 12 करोड़ जनता को मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और संभावनामय जीवन की शुभकामनाऐं देता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।